रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-902/2018/1067/22-2-2018-17(83)/2011

लखनऊ: दिनांक: 06 दिसम्बर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा, में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शौकत अली (बन्दी संख्या-12510) पुत्र श्री भूरे खां, जो-निवासी-तेवडा, थाना-भोपा, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-282/1978 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-302/149, 148 के अधीन दिनांक 03.09.1979 को मा0 सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की समयपूर्व रिहाई हेतु दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर बन्दी की आयु 86 वर्ष होने, 12 वर्ष से अधिक अपरिहार तथा 16 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा काटने तथा अच्छे जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बंदी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-902/2018/1067(1)/22-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0 प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in